(क) वर्ष 2009-2011 के दौरान कितने लोगों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है;

(ख) वर्तमान में ऐसे दोष सिद्ध कैदियों की संख्या कितनी है, जिन्हें विचारण न्यायालयों द्वारा दण्डादेश दिया गया है और जिनके दण्ड को उच्च-न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा सही ठहराया गया है; और

(ग) दंडादेश प्राप्त ऐसे कितने व्यक्ति हैं, जिनकी दया याचिकाएं लम्बित है या कार्यकारी अधिकारी द्वारा ऐसी याचिकाओं को निरस्त कर दिया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)

**(क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।**

**दिनांक 25.04.2012 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 290 के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

**(क) : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2008-2010 की अवधि के दौरान 360 व्यक्तियों को मृत्युदण्ड दिया गया था । एन सी आर बी के पास उपलब्ध अद्यतन सूचना वर्ष 2010 से संबंधित है ।**

**(ख) : भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2009-2011 के दौरान मृत्युदण्ड की सजा से संबंधित 11 मामलों की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उनको सही ठहराया गया है ।**

**(ग) : अक्टूबर, 2009 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत मृत्यु दण्ड के दोषसिद्ध व्यक्तियों की 28 दया याचिकाएं लम्बित थीं । अक्टूबर, 2009 से 19 अप्रैल, 2012 के दौरान संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत मृत्युदण्ड के दोषसिद्ध व्यक्तियों की छह दया याचिकाएं प्राप्त हुईं । 19 अप्रैल, 2012 की स्थिति के अनुसार, कुल 34 दया याचिकाओं में से 15 दया याचिकाओं पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्णय दे दिया गया है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत 19 दया याचिकाओं के मामले लम्बित हैं ।**